न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश षष्ट्म, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–645 / 2026

1. रामबाबू मोदनवाल पुत्र दामोदर मोदनवाल,
2. संगीता देवी पत्नी राम बाबू मोदनवाल,
   सा0मौ0 पवारा थाना पवारा जनपद जौनपुर।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य जरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, जौनपुर।

मुकदमा अपराध संख्या–91 / **2026**
अन्तर्गत धारा–85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता
व धारा–3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना पवारा जिला जौनपुर।

दिनॉक–22.06.2026

अभियुक्तगण रामबाबू मोदनवाल, संगीता देवी की ओर से यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्तगण उपरोक्त पर मु0अ0सं0–91 / 2026 अन्तर्गत धारा–85, 80 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3 / 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना पवारा जिला जौनपुर के प्रकरण में दण्डनीय अपराध का आरोप है।

संक्षेप में अभियोजन पक्ष का कथानक इस प्रकार है कि मेरी पुत्री आरती मोदनवाल उर्फ मंजू की शादी दिनॉक–02 मार्च 2025 को अंकित मोदनवाल पुत्र राम बाबू मोदनवाल निवासी पवारा थाना पवारा जनपद जौनपुर के साथ हुई थी जिसमें लगभग चौदह लाख रूपया खर्च हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद ससुराल पक्ष द्वारा छः लाख रूपये एवं बुलेट मोटरसाइकिल की मॉग की जाने लगी तथा उसके पति, सास, ससुर व ननद द्वारा दहेज की मॉग को लेकर मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। कई बार उसके साथ मार–पीट भी की गयी। दिनॉक–16.05.2026 को हमारे भांजे द्वारा सूचना मिली कि मेरी बेटी आरती की जो गर्भवती भी थी की संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गयी। हमे पूरा संदेह है कि उसके ससुराल पक्ष वाले ने दहेज के लिए उसको प्रताड़ित करके हत्या कर दिया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आरोपी के विरूद्ध दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी दर्जकरके उचित कार्यवाही करें एवं शव का पोस्टमार्टम करवा ले ताकि सत्य सामने आ सके।

आवेदकगण / अभियुक्त्गण के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके कथन किया है कि प्रार्थीगण निर्दोष हैं तथा मुकदमा उपरोक्त में फर्जी ढंग से फसाये गये हैं। प्रार्थीगण मृतिका की मिठाई व समोसा की दुकान पवारा में ही है और उसी दुकान पर प्रार्थी का पुत्र अंकित मोदनवल भी काम करता है। विवाह के उपरोक्त मृतका अपने पति को लेकर हमलोगों से अलग रहना चाहती थी और अपने मायके बिना किसी सूचना के चली जाती थी। घर में अक्सर वह अपने मोबाइल से बाते करती रहती थी और जब प्रार्थिनी संगीता के द्वारा पूछा जाता तो वह फोन काट देती और कहती कि किसी से बात नहीं कर रही हूॅ और इसी कारण रोक–टोक किये जाने से वह घटना के पॉच माह पूर्व हमलोगों से अपने पति को लेकर अलग रहने लगी और अपना अलग खाना बनाने लगी। मृतका अपने मायके से आने हेतु तैयार नहीं थी, किन्तु किसी प्रकार बेट अंकित के द्वारा उसे जाकर विदा कराकर लियवा आया। उसके मायके वाले भी उसे समझा–बुझाकर जबरदस्ती दिनॉक–06.05.2026 को भेजे थे जबकि वह स्वयं से आना नहीं चाहती थी। इसी कारण आने के बाद भी वह अपने पति अंकित से अक्सर झगड़ा करती और फोन से बाते भी किसी से करती थी। घटना होने के पूर्व उसने अपने मोबाइल का सिम तोड़कर फेंक दिया था और उसके बाद उसने किसी समय स्वयं से उसी मोबाइल से बात किये जाने के किसी करणवश आत्महत्या फॉसी लगाकर कर लिया। प्रार्थीगण द्वारा उसे कभी भी

दहेज की मॉग को लेकर शारीरिक या मानसिक रूप से कभी भी प्रताड़ित नहीं किया गया और न ही किसी प्रकार की कोई दहेज की मॉग की गयी। मृतका अपनी स्वयं की परेशानी में और मानसिक समस्या के कारण अपने कमरे के अन्दर दरवाजा बन्द कर स्वयं से फॉसी लगाकर आत्महत्या कर ली गयी। घटना के उपरान्त प्रार्थी के पुत्र द्वारा उसके मायके वालों को फोन से सूचना दी गयी तथा पुलिस को भी सूचित कियागया। पुलिस द्वारा ही मृतका के शव को उतारकर सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी और मृतका का मोबाल भी क्षेत्राधिकारी मछलीशहर के द्वारा अपने कब्जे में साक्ष्य के रूप में ले लिया गया। मृतका का मोबाइल नं0–9125051213 था उसकी काल डिटेल व सी डी आर से भी घटना होने के कारणों का पता लगाया जा सकता है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः प्रार्थीगण द्वारा जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण ने मुकदमा उपरोक्त की घटना को कारित किया है। मामला गम्भीर प्रकृति का है और जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी मुकदमा के द्वारा पहले फौती सूचना थाने पर दी गयी, जिसमें केवल यह अंकित कराया गया कि आज दिनॉक–16.05.2026 के सुबह लगभग 10.00 बजे उसके भांजे संदीप ने बताया, आरती जो अपने ससुराल पवारा में थी मर गयी है, जिसके सम्बन्ध में लिखित सूचना दे रहा हूॅ। पोस्टमार्टम कराकर मृत्यु के बारे में सही जानकारी मिल सके, जिसका उल्लेख जी0डी0 सं0–29 पर दर्ज है, इसकी पुष्टि पंचनामा से भी होती है। इसके पश्चात 6.58 बजे तहरीर देकर मुकदमा दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के बाबत दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त राम बाबू व संगीता मृतका के ससुर व सास हैं, जो मृतका व उसके पति से अलग दूसरे मकान में रहते थे, का कथन किया गया है और उसके संदर्भ में बिजली का विल व बैनामा दाखिल किया गया है, जिसका समर्थन सी डी सं0–10 में सोनू कुमार शाहू द्वारा दिये गये बयान से मिलता है। जिसमें उसने बताया कि सूचना पर वह मौके पर गया तो पता चला कि राम बाबू मोदनवाल नये मकान पर हैं तो वह वहॉ गया, जहॉ काफी भीड़ थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतका के शरीर पर केवल एक इनकम्लीट लिगेचर मार्क 18.00 से0मी0 गैप के साथ मौजूद था, अन्य कोई चोट मृतका के शरीर पर नहीं पायी गयी। अभियुक्तगण दिनॉक–18.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध हैं। अतः मामले के समस्त तथा परिस्थितियों को देखते हुए बिना गुण–दोष पर विचार व्यक्त किये यह न्यायालय अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त पाती है।

<u>आदेश</u>

मु0अ0सं0–91/ 2026 अन्तर्गत धारा–85, 80(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना पवारा जिला जौनपुर के प्रकरण में आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही धनराशि की दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न शर्ते के अधीन उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है।

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण नियत तिथियों पर स्वयं/जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण मामले के साक्षी/साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत के दौरान कोई अन्य अपराध कारित नहीं करेगा।

अपर सत्र न्यायाधीश षष्ट्म,

जौनपुर।